भोलीराम बनाम अखिल प्रा.पत्र 212 RTA 43/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कि वि के निस्तारण तक अप्रार्थी विक्रेता को संप्रेषित किया जावे। अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने कथन में कहा कि उक्त खि. आर. अकेले शोभासिंह पुत्र बंकसिंह ठाकुर के नाम खातेदारी की हैसियत से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रहा है जिसने वर्ष 1975 में अपनी जमीन में से दिशा खोलते हुए और मौके पर कब्जा परिवर्तित करते हुए जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान किया है जो नक्शे के हिसाब से प्लॉटों के रूप में है। जहाँ शोभासिंह उक्त जायदाद का व्यक्तिगत रूप से मालिक था तो उसे अपनी जायदाद में से किसी भी निश्चित भू-भाग को बेचने का — अधिकार था इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आज सायल को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का कानूनी रूप से अधिकार हासिल नहीं रह जाता, इसलिए सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय हर्जा खर्चा काबिल खारिज योग्य है।
	पत्रावली का समग्र अध्ययन / अवलोकन किया गया। इसके उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि —
	~~वादी~~ प्रार्थी की ~~संयुक्त~~ संयुक्त खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादी ने [illegible] कहा कि भूमि का बेचान दिशा खोलकर किया गया था के संबंध में [illegible] प्रस्तुत नहीं किये। खातेदारी [illegible] भूमि पर बिना अकृषि भूमि के रूप में निर्माण कार्य वह भी अविभाजित आराजी पर किया — जाना उचित नहीं है। अप्रार्थी अपने कथनों को प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं कर पाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Har
Date: 2024.10.05 16:06:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भोलाराम बनाम अखिल प्रा॰पत्र 212 PAM 43/20	
	अतः आदेश है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 03.12.2020 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आ.स. नं. 227/1.34 बाके ग्राम जालूकी तह॰ नगर को दावे के निस्तारण तक संपुष्ट किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर सलंग्न मूल-वाद रहे।	
	(सुरेन्द्र प्रसाद) उप खण्ड अधिकारी डूग (भरतपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.10.05 16:06:27 IST
Reason: SelfAttested